

•॥ नमामि देवी नर्मदे ॥•

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास

सेठानी घाट, होशंगाबाद



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश शासन



मध्यप्रदेश शासन

क्रं.28/मुमंका/2017
भोपाल, दिनांक 016/01/2017


सदेश

हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा “नमामि देवि नर्मदे सेवा यात्रा” के अवसर पर प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को संकलित कर जनजागरण पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत वर्ष की पवित्रतम व पुण्य सरिताओं में माँ नर्मदा युगों-युगों से पूजनीय है तथा नर्मदा के प्रति जनमानस में अपार श्रद्धा है। नर्मदा केवल नदी मात्र ही नहीं अपितु आस्था और विश्वास का प्रतीक है, नर्मदा का जल निर्मल एवं प्रदूषणमुक्त ही बना रहे इस हेतु समग्र प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिकी पहलुओं का समावेश करते हुये नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयास तथा व्यापक जनजागरूकता सराहनीय हैं।

आशा है कि नर्मदा जल को स्वच्छ एवं निर्मल रखने हेतु किये गए तथा जारी समग्र प्रयासों का यह संकलन जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी होगा बोर्ड का यह प्रयास प्रशंसनीय है।

(शिवराज सिंह चौहान)



मध्यप्रदेश शासन

जावक क्रं. 7388

भोपाल, दिनांक 04/01/2017

अंतर सिंह आर्य
मंत्री

पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

संदेश

जल के बिना जीवन अकल्पनीय है, भारतीय संस्कृति में सभी शुभ कार्यों में जल का आवाहन किया जाता है। जल की शुद्धता व सुरक्षा का दायित्व भी हम सबका संवैधानिक दायित्व है।

नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के अंतर्गत नर्मदा को स्वच्छ व शुद्ध बनाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प क्रियान्वित किया है उसमें सभी शासकीय संस्थाओं के साथ धार्मिक, सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं के सहयोग का आवाहन किया गया है।

नर्मदा नदी में प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत किये जा रहे कार्य जन साधारण में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने में अहम भूमिका निभायेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने में उपयोगी होगा।



(अंतर सिंह आर्य)



सदेश

नर्मदा नदी प्रदेश की सदानीरा नदियों में प्रमुख स्थान रखती है। जन संख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा आधुनिक जीवन शैली से जल खपत में वृद्धि तथा सीवेज की मात्रा में वृद्धि निरंतर जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी के समीप स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सुदृढ़ कराई है तथा शून्य निस्त्राव हेतु प्रयास जारी है। राज्य शासन द्वारा नदी के किनारे 18 नगरों के सीवेज उपचार हेतु डीपीआर तैयार कराकर क्रियान्वयन जारी है।

बोर्ड द्वारा आमजन को प्रदूषण नियंत्रण हेतु जागरूक करने एवं उनसे सहयोग प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्थानों पर रैली, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, स्लोगन राईटिंग, होर्डिंग, पम्पलेट वितरण आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार जारी है। नदी किनारे वृक्षारोपण की मुहिम से नदी का मूल रूप में पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान आमजन को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी होगी। बोर्ड द्वारा किया गया यह प्रयास प्रशंसनीय है।


मलय

(मलय श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग एवं
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयास

नर्मदा नदी- पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व :

देश के हृदय स्थल मध्यप्रदेश को क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है। नर्मदा नदी भारतवर्ष की प्रमुख सरिताओं में से एक है। धार्मिक ग्रंथों में नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने की मान्यता है, जबकि गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य बताया गया है।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में मेंकल पर्वत-मालाओं से आच्छादित अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा मध्यप्रदेश में 1077 किलोमीटर, मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र-गुजरात में 42 किलोमीटर एवं गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होकर कुल 1312 किलोमीटर पश्चात् अंततः गुजरात में भडूच के निकट खम्भात की खाड़ी में अरब सागर में समाहित होती है। नर्मदा के किनारे मुख्य रूप से कोरकू बारेला, गौड़, भील, भिलाला, बैगा, जन-जातियाँ निवास करती हैं। जो नदी, पहाड़, जमीन, जंगल आदि के संरक्षण हेतु संवेदनशील हैं।

नर्मदा की बहाव यात्रा में 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण क्षेत्रवाली 41 सहायक नदियाँ मिलती हैं। इनमें से दायें तट पर मिलने वाली 19 सहायक नदियाँ सिल्ली, बलई, राधा, गौर, हिरन, बिरंग, तेन्दोनी, बारना, जामनेर, कोलार, सीप, उरी, हथनी, चनकेशर, खारी, कनार, चोरल, कारम, मान आदि हैं। बायें तट पर मिलने वाली 22 सहायक नदियाँ खारमेंर, दूधी, छोटतवा, बुढनेर, सुखरी, कावेरी, बंजर, तवा, खरकिया, तेमूर, हाथेर, कुण्डी, सोनेर, गंजाल, बोराड, शेर, अजनाल, डेब, शक्कर, मखक, गोई हैं।

विश्व की प्रमुख सभ्यतायें बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। नर्मदा आस्था का केन्द्र बिन्दु होने से नदी के किनारे धार्मिक त्यौहारों व मेलों के दौरान श्रद्धालुओं का समागम होता है। नर्मदा नदी की अपार जल क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुये अनेक वृहद, मध्यम, लघु सिंचाई एवं विद्युत परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं तथा प्रस्तावित हैं। नर्मदा पर विकास योजनाओं की स्थापना, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण होने से प्रदूषण का दबाव परिलक्षित हो रहा है। औद्योगिकीकरण से जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों जिनका सीधा निस्त्राव नर्मदा में जाने की संभावना है, उनमें नर्मदा जिलेटिन जबलपुर, सिक्वोरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ट्राईडेन्ट लि० बुधनी, वर्द्धमान यार्न बुधनी, एसोसिएटेड डिस्टलरी बडवाहा, अग्रवाल डिस्टलरी ग्राम खोडी, सेन्चुरी टेक्सटाईलस ठीकरी, मराल ओवरसीज लि० निमरानी, खेतान केमिकल आदि हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार सभी उद्योगों में जल प्रदूषणरोधी व्यवस्थाये स्थापित होकर संचालित हैं।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा प्रदूषण शमन की कार्यवाही को गति देने हेतु मई 2011 में “नर्मदा प्रदूषण शमन समिति” का गठन किया गया तथा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में नर्मदा के सभी महत्वपूर्ण घाटों जिनमें अमरकंटक, डिंडोरी, मण्डला, बरमान, जबलपुर, नरसिंहपुर, बुधनी, होशंगाबाद, नेमावर ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, खलघाट, धरमपुरी, निमरानी, अलीराजपुर आदि शामिल हैं का सर्वेक्षण तथा

